कार्यालय, अंचल अधिकारी, बिरनी (गिरिडीह)

ई – मेल : – co.birni@jharkhandmail.gov.in

अभिलेख विविध वाद सं0– 05 / 2022 – 23

प्रथम पक्ष – श्री ताराचंद दास,
पिता– प्रेम रविदास एवं अन्य
साकिन – खैरीडीह (गोरडीह), बिरनी।

द्वितीय पक्ष– श्री लालमनी साव,
पिता– ठाकुर साव एवं अन्य,
साकिन – तेलियाडीह, बिरनी।

आदेश की सं0 एवं तिथि	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्रवाई टिप्पणी की तिथि सहित
24/12/2022	आवेदक श्री ताराचन्द दास, पिता– प्रेम रविदास एवं अन्य, साकिन– खैरीडीह (गोरडीह), अंचल– बिरनी के द्वारा आवेदन दिया गया है, जिसमें आवेदित किया गया है कि मौजा– तेलीयाडीह, थाना नं0– 92 के अन्तर्गत खाता सं0– 07, प्लॉट नं0– 02 एवं 101 के मधे बंदोबस्ती प्राप्त भूमि को ग्राम तेलीयाडीह एवं केन्दुआटांड के निवासी लोग श्री लालमनी साव, पिता– मेघन साव एवं अन्य के द्वारा उनके जमीन को कब्जा कर लिया गया है। आवेदक के द्वारा उक्त मामले में यथोचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। अतएव उक्त प्राप्त आवेदन के आलोक में दोनों पक्ष को नोटिस निर्गत कर संबंधित राजस्व कागजातों की मांग करें। अभिलेख दिनांक – 10/01/2023 को उपस्थापित करें। 24/12/2022 अंचल अधिकारी, बिरनी	
10/01/2023 23/04/2023	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित। दोनों पक्षों द्वारा अपना उपस्थिति पत्र के साथ कुछ राजस्व कागजात प्रस्तुत किया गया है। अन्य वांछित कागजात की मांग करें। अभिलेख दिनांक – 12/05/2023 को उपस्थापित करें। 23/04/2023 अंचल अधिकारी, बिरनी	
12/05/2023 16/05/2023	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित। दोनों पक्षों द्वारा अपना उपस्थिति पत्र के साथ राजस्व कागजात प्रस्तुत किया गया है। प्राप्त दस्तावेज अभिलेख में संलग्न है। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से उक्त भूमि से संबंधित विस्तृत जाँच प्रतिवेदन प्राप्त करें। अभिलेख दिनांक – 02/06/2023 को उपस्थापित करें। 16/05/2023 अंचल अधिकारी, बिरनी	

02/06/2023 19/06/2023	अभिलेख उपस्थापित। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक, बिरनी से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है, जो अभिलेख में संलग्न है। उभय पक्ष उपस्थित हैं। दोनो पक्षों का ब्यान सुना गया एवं प्राप्त जाँच प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। अगले तिथि को अभिलेख आदेशार्थ रखें। अभिलेख आदेशार्थ दिनांक – 04/07/2023 को उपस्थापित करें। 19/06/2023 अंचल अधिकारी, बिरनी	
04/07/2023	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित। दोनों पक्षों का सुना गया ब्यान एवं वादगत भूमि से संबंधित प्रस्तुत राजस्व कागजात तथा राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक, बिरनी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन तथा स्थल जाँच के आधार पर अन्तिम आदेश पारित करते हुए अभिलेख की कार्रवाई को समाप्त किया जाता है। 04/07/2023 अंचल अधिकारी, बिरनी	

कार्यालय, अंचल अधिकारी, बिरनी (गिरिडीह)

ई – मेल : – co.birni@jharkhandmail.gov.in

आदेश पत्रक

अभिलेख विविध वाद सं0– 05/2022 – 23

प्रथम पक्ष– श्री ताराचन्द दास,
पिता– प्रेम दास एवं अन्य।
साकिन – खैरीडीह, बिरनी।

द्वितीय पक्ष– श्री लालमनी साव,
पिता– ठाकुर साव एवं अन्य।
साकिन – तेलियाडीह, बिरनी।

आदेश की सं0 एवं तिथि	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्रवाई टिप्पणी की तिथि सहित
04/07/2023	**आदेश** अभिलेख आदेशार्थ उपस्थापित। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक श्री इन्द्रदेव पंडित एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक श्री संजीव कुमार जारूहार द्वारा प्राप्त राजस्व दस्तावेजों एवं स्थल जाँचोपरान्त निम्नांकित तथ्य प्रतिवेदित किया गया है: – 1. यह कि उभय पक्ष के बीच चल रहे विवाद मौजा– तेलियाडीह, थाना नं0– 92 के अन्तर्गत खाता सं0–07, प्लॉट नं0–02 एवं 101 से संबंधित है, जो सर्वे खतियान के अनुसार गैरमजरूवा खास खाता की भूमि है, किस्म जमीन जंगल दर्ज है। प्रश्नगत प्लॉटों का खतियानी रकवा क्रमशः 23.75 ए0 एवं 21.25 ए0 है। 2. यह कि प्रथम पक्ष श्री ताराचन्द दास के द्वारा अपने दावे के समर्थन में समर्पित राजस्व दस्तावेज का अवलोकन किया गया, जाँच के क्रम में पाया कि उनके पिता एवं अन्य 13 को रैयतों भू–बंदोबस्ती केश संख्या–12/1975–76 एवं 03/1977 –78 के द्वारा हासिल है। प्रथम पक्ष श्री दास के द्वारा प्रस्तुत की गई लगान रसीद का अवलोकन किया गया। प्रथम लगान रसीद वित्तीय वर्ष 2014– 15 में निर्गत है। एवं वित्तीय वर्ष 2016–17 में निर्गत लगान रसीद प्रस्तुत किया गया है। 3. यह कि द्वितीय पक्ष श्री लालमनी साव एवं अन्य के द्वारा अपने दावे में सादा हुकुमनामा, फर्द अमीन रिर्पोट, लगान रसीद एवं पंजी– II की छाया प्रति प्रस्तुत किया गया है। उनके द्वारा प्रस्तुत हुकुमनामा अस्पष्ट है एवं अपठनीय है। प्रस्तुत जमींदारी रसीद में जोधो नायक वगैरह दर्ज है, रकवा– 19.88 ए0 अंकित है। श्री साव के द्वारा प्रथम सरकारी लगान रसीद जो वर्ष 1958– 59 में निर्गत एवं अंतिम लगान रसीद वित्तीय वर्ष 2023–24 में निर्गत है, प्रस्तुत किया गया है। किन्तु उनके द्वारा जमींदारी उन्मूलन के पश्चात से लगातार निर्गत सरकारी लगान रसीद प्रस्तुत नहीं किया गया है। भूतपूर्व जमींदार के द्वारा सिर्फ हुकुमनामा एंव जमींदारी रसीद दिया जाता था न कि फर्द अमीन रिर्पोट। फर्द अमीन रिर्पोट देने का प्रावधान सरकारी बंदोबस्ती में है। 4. यह कि उक्त भूमि पर उभय पक्ष का स्पष्ट दखल नहीं है। 5. उल्लेखनीय है कि राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक– 6144/रा0, दिनांक– 21/12/2017 की कंडिका 11(ii) में स्पष्ट उल्लेख है कि प्रतिबंधित श्रेणी की गैरमजरूवा भूमि यथा गोचर, वनभूमि, श्मशान, हड़गड़ी, कब्रिस्तान, सरना स्थल, मशना स्थल, नदी, नाला, पहाड़, आम रास्ता आदि का नियमितीकरण/ बंदोबस्ती नहीं की जायेगी।	

6. माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय जो WP (civil) No. – 171/96, दिनांक– 12/12/1996 के आदेश में Forest Conservation Act, 1980 में निहित "Forest" शब्द को व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है। उक्त निर्णय के अनुसार जंगल झाड़ी भूमि पर कोई भी गैरवानिकी कार्य एवं Deforestion का कार्य नहीं किया जा सकता है। ऐसे भूमि प्रतिबंधित श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं। प्रश्नगत प्लॉटों का खतियान में किस्म जमीन जंगल दर्ज है।

अतः संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदित उक्त जाँच प्रतिवेदन एवं उभय पक्ष के द्वारा प्रस्तुत राजस्व दस्तावेजों का अवलोकन तथा स्थल जाँच के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि उक्त भूमि पर उभय पक्ष का स्पष्ट दखल नहीं है। वर्तमान में दखल को लेकर आपस में विवाद है। मामला स्वत्त्व से जुड़ा है। यद्यपि उक्त भूमि प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि है, जैसा कि उपर विस्तृत में उल्लेखित है। अतएव अधोहस्ताक्षरी के स्तर से इस पर कोई निर्णय देना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। यह अधोहस्ताक्षरी के क्षेत्राधिकारी से बाहर है। अतः उभय पक्ष चाहें तो उक्त मामला का निष्पादन के लिए सक्षम न्यायालय जा सकते हैं।

अतः अभिलेख में वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

04/07/2023
अंचल अधिकारी,
बिरनी।

04/07/2023
अंचल अधिकारी,
बिरनी।

Digitally signed by ASHOK RAM
Date: 2023.07.14 17:29:18 +05:30
Location: 192.168.43.105